पत्रांक 218(1/S)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

श्री अमरजीत सिन्हा,
प्रधान सचिव,

सेवा में,

प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय ।
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय ।
सभी सिविल सर्जन ।

पटना, दिनांक 15 मई ,2012 ।

विषयः—नियमित तथा अनुबंध पर नियुक्त सभी कर्मचारियों का वेतन/मानदेय का भुगतान माह के प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व में कई बार हुए विमर्श का स्मरण करें । स्वास्थ्य विभाग की यह मंशा है कि विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें । इसी दृष्टिकोण से वेतन का 80 प्रतिशत आवंटन अप्रैल माह में ही सभी कार्यालय को उपलब्ध कराया जा चुका है । विशेष अदायगी मद में 50 प्रतिशत वार्षिक आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है । आवश्यकता है कि आप व्यक्तिगत ध्यान देकर सुनिश्चित कराये कि समय पर वेतन/मानदेय का भुगतान सभी कर्मचारियों को मिले । किसी भी सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा के लिए समय से वेतन भुगतान की अनिवार्यता है और इसका दृढ़ता से पालन करना आवश्यक है ।

जून माह से अधोहस्ताक्षरी द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला का निरीक्षण किया जायगा और समय से वेतन का भुगतान निरीक्षण की प्रमुख प्राथमिकता होगी । यदि वेतन भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई है तो उसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को दें । बजट को वास्तविक खर्च के आधार पर करने का निदेश दिया जाता है । यदि बजट में किसी प्रकार की कमी है तो कृपया सुनिश्चित करें कि प्रथम अनुपूरक में ही राशि की व्यवस्था करा ली जाय । बजट उपबंध की मांग करते समय यह भी ध्यान रखें कि जिन मदों में आवश्यकता से अधिक राशि है, तो उसका प्रत्यर्पण स–समय करें ताकि उसे पुर्न आवंटन किया जा सके ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव ।

14/05/2012